न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 — 183/2022

अनवान : —

1. कृष्ण कुमार
2. महेन्द्र
3. राजमल

} पि0 रामजीलाल जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र बीरूराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. बिमला पुत्री रामजीलाल पत्नी सीताराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा हाल रामगढ तहसील नोहर।
3. विद्या पुत्री रामजीलाल पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा हाल रामगढ तहसील नोहर।
4. पीएनबी शाखा मूर्ति चौक भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 677/459 के खसरा सं0 106, 655 कुल 29. 5250है बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम से 8577/29525 हिस्सा यानि 8.577है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल अकेले के बजाय वादी सं0 1 कृष्ण कुमार का 2.827है0, व वादीगण सं0 2 महेन्द्र का 2.827है0, वादीगण सं0 3 राजमल का 1.561है0 व प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल का 1.362है0 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.11.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner